154 158

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1976.

क्र. 2332-5015-बत्तीस.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक. 6, सन् 1974) की धारा 28 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मंडल के परामर्श से एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम.—ये नियम, मध्यप्रदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अपील नियम, 1976 कहलायेंगे.

2. परिभाषा.—इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6, सन् 1974);

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 28 के अधीन, गठित अपीली प्राधिकरण;

(ग) "मंडल" से अभिप्रेत है, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मंडल;

(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ङ) "सदस्य सचिव" से अभिप्रेत है मंडल का सदस्य सचिव;

(च) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा.

फीस.—धारा 28 के अधीन किसी अपील के लिये संदेय फीस रुपया [500.00 होगी.]

4. अपील का ज्ञापन.—(1) प्रत्येक अपील:—

(क) लिखित रूप में की जायेगी;

(ख) में अपीलार्थी का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट होगा;

(ग) में उस आदेश की, जिसके विरुद्ध वह की गई है, तारीख विनिर्दिष्ट होगी;

(घ) में वह तारीख, जब अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया गया था, विनिर्दिष्ट होगी;

(ङ) में तथ्यों का स्पष्ट विवरण अन्तर्विष्ट होगा;

(च) में वे आधार, जिन पर अपील की गई हो, विनिर्दिष्ट होंगे;

(छ) में चाहे गये अनुतोष का ठीक-ठीक वर्णन होगा; तथा

(ज) अपीलार्थी द्वारा या इस संबंध में लिखित रूप में उसके द्वारा प्राधिकृत,

अभिकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगी; अर्थात्:—

"मैं .... अपील के उक्त ज्ञापन में नामांकित अपीलार्थी/उसका प्राधिकृत अभिकर्ता एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उसमें जो भी विवरणित है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है.".

....
हस्ताक्षर.

(2) अपील के ज्ञापन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:—

(क) उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अधिप्रमाणीकृत प्रति;

(ख) उस आवेदन पत्र की, जो यथास्थिति, धारा 25 या 26 के अधीन किया गया है, एक प्रति;

(ग) अपील से सुसंगत कोई दस्तावेज;

(घ) नियम 3 के अधीन विहित फीस के संदाय का संतोषजनक प्रमाण;

(3) यथासंभव अपील का ज्ञापनः—

(क) जहां अपील, धारा 28 की उपधारा (5) की परिधि में आने वाले मामलों से संबंधित हो, वहां प्ररूप एक में होगा; तथा

(ख) जहां अपील, धारा 28 की उपधारा (5) के अन्तर्गत न आने वाले मामलों से संबंधित हो, वहां प्ररूप दो में होगा.

(4) अपील का ज्ञापन चार प्रतियों म होगा और अपीलीय प्राधिकारी को या तो अपीलार्थी द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रस्तुत किया जायगा या ऐसे प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जायगा, जब अपील का ज्ञापन अपीलार्थी द्वारा सम्यक् रूप अभिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाय, तो उसके साथ उसकी इस रूप में नियुक्ति का सम्यक् रूप से स्टांपित प्राधिकार पत्र होगा.

(5) अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर, अपीली प्राधिकारी उस पर प्रस्तुतीकरण की तारीख तथा यथास्थिति, उसे प्रस्तुत करने वाले अपीलार्थी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता का नाम पृष्ठांकित करेगा.

5. सुनवाई की तारीख नियत करने तथा अभिलेख मंगवाने की शक्ति.—(1) अपीली प्राधिकारी, अपील का ज्ञापन फाईल किये जाने क पश्चात् यथा शक्य शीघ्र अपील की सुनवाई करने की तारीख नियत करेगा और इसकी सूचना अपीलार्थी तथा सदस्य सचिव को ऐसी रीति में देगा जिसे कि वह उचित समझे. अपील के ज्ञापन की प्रति उसके सहपत्रों, सहित सदस्य सचिव को भी भेजी जायेगी.

(2) अपीली प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, सदस्य सचिव से मामले का अभिलेख मंगवायेगा.

(3) जहां अभिलेख में दी गई सामग्री अपर्याप्त हो और जहां अपीली प्राधिकारी किसी निश्चित निष्कर्ष पर न पहुंच पाये, वहां वह अपीलार्थी, सदस्य सचिव से अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या और अधिक ऐसी सामग्री मंगवा सकेगा, जिसे वह उचित समझे. ऐसी सामग्री अभिलेख का भाग होगी.

(4) जहां सुनवाई के लिये नियत तारीख को, या किसी ऐसी तारीख को, जब अपील की सुनवाई स्थगित की जाय, अपीलार्थी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसका अभिकर्त्ता अपील की सुनवाई के समय उपस्थित न हो, वहां अपील खारिज की जा सकेगी या एक पक्षीय विनिश्चय किया जा सकेगा.

(5) जहां अपील, उपनियम (4) के अधीन खारिज की गई हो, वहां अपीलार्थी अपील के खारिज किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपीली प्राधिकारी को अपील के प्रत्यावर्तन के लिये आवेदन कर सकेगा तथा यदि अपीली प्राधिकारी का समाधान करते हुये यह दर्शा दिया जाये कि अपीलार्थी की अपील की सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी या अपील की सुनवाई के समय किसी पर्याप्त कारण वश वह उपस्थित नहीं हो पाया था, तो अपीली प्राधिकारी ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें वह उचित समझे, अपील का प्रत्यावर्तन कर सकेगा.

6. आदेश लिखित रूप में होगा.—अपीली प्राधिकारी का आदेश लिखित रूप में होगा तथा उसमें अवधार्थ प्रश्न, उन पर किया गया विनिश्चय तथा विनिश्चय के कारण विवरणित होंगे.

7. अपीलार्थी तथा मंडल को आदेश की प्रति प्रदाय करना.—अपील में पारित आदेश की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जायेगी आदेश की प्रति सदस्य सचिव को भी भेजी जायेगी.

प्ररूप एक

[उपनियम 4(3) (क) देखिये]

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 28 के अधीन अपील का प्ररूप.

प्रति,

अध्यक्ष,
अपीली प्राधिकारी,
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण),
अधिनियम, 1974 की धारा 28 के अधीन गठित.

श्री .... निवासी .... वार्ड क्रमांक .... तहसील, ... जिला .... की अपील निम्नानुसार दर्शाती हैः—

(एक) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6, सन् 1974) की धारा 25/26 के अधीन अपीलार्थी को निम्नलिखित संयंत्र निगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति के संबंध में सम्मति-आदेश में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सम्मति प्रदान की गई हैः-—

(क) संयंत्र.
निगम
नगरपालिका
अधिसूचित क्षेत्र
समिति का नाम

(ख) स्थान

(ग) वार्ड क्रमांक

(घ) सड़क का नाम

(ङ) नगर क्षेत्र

(च) जिला

संबंधित सम्मति आदेश की एक प्रति इससे संलग्न है.

(दो) वे आधार, जिन पर अपीलार्थी इस अपील के प्रयोजनार्थ विश्वास करता है, निम्नानुसार हैः—

(तीन) अतः अपीलार्थी निवेदन करता है कि—

अधिरोपित अनुचित शर्त/शर्तें क्रमांक..................

बातिल समझी जाय/जाएं या वह/वे ऐसी अन्य शर्तें/शर्तों द्वारा जो समुचित प्रतीत हो/हों, प्रतिस्थापित की जाये/जायें.

या

अनुचित शर्त/शर्तें क्रमांक ....

में निम्नलिखित रीति से फेरफार किया जाए.

हस्ताक्षर ....

व्यवसाय ....

पता ....

तारीख.................

सत्यापन का प्रारूप

मैं.......................अपील के उपर्युक्त ज्ञापन में नामित अपीलार्थी/उसका प्राधिकृत अभिकर्ता एतद्वारा घोषणा करता हूं कि इसमें विवरणित बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं.

हस्ताक्षर ....

व्यवसाय ....

पता ....

तारीख..................

जो लागू न हो उसे काट दें.

प्ररूप दो

[उपनियम 4 (3) (ख) देखिए]

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 28 के अधीन अपील का प्ररूप.

प्रति,

अध्यक्ष,

अपीली प्राधिकारी,

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)

अधिनियम, 1974 की धारा 28 के अधीन गठित.

श्री.........................निवासी,........................,वार्ड क्रमांक................

तहसील.........................,जिला........................की अपील निम्नानुसार दर्शाती है :—

(एक) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 27 के अधीन.

अपीलार्थी को सम्मति देने से इन्कार किया गया है.

या

निम्नलिखित संयंत्र / निगम / नगरपालिका / अधिसूचित क्षेत्र समिति के संबंध में मण्डल द्वारा सम्मति प्रत्याहृत की गई है :—

(क) संयंत्र
निगम
नगरपालिका
अधिसूचित क्षेत्र समिति का नाम

(ख) स्थान

(ग) वार्ड क्रमांक

(घ) सड़क का नाम

(ङ) नगर क्षेत्र

(च) जिला

संबंधित आदेश की प्रति इससे संलग्न है.

(दो) पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी निवेदन करता है कि उक्त आदेश अन्य आधारों के साथ-साथ निम्नलिखित आधार / आधारों पर अपास्त किया जाए अर्थात् :—

हस्ताक्षर ....
व्यवसाय ....
पता ....

तारीख................

जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

सत्यापन का प्ररूप

मैं .... अपील के उपर्युक्त ज्ञापन में नामित अपीलार्थी/उसका प्राधिकृत अभिकर्त्ता एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इसमें कथित बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं.

हस्ताक्षर ....
व्यवसाय ....
पता ....

तारीख................

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 1976.

क्र. 2334-बत्तीस-76.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचमा क्र. 2332-5015-बत्तीस-76, दिनांक 3 जुलाई 1976 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd July 1976.

No. 2332-5015-XXXII-76.—In exercise of the powers conferred by such-section (1) and clause (m) of sub section (2) of section 64 read with sub-section (3) of section 28 of the Water (prevention and Contontion Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the State Government, in consultation with the Madhya Pradesh State Preve and Control of Water Pollution Board, hereby makes the following rules, namely:—

Rules

1. **Short title**.—These rules may be called the Madhya Pradesh Water (Preventon and Control of Pollution) Appeal Rules, 1976.

2. **Definitions**.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Water (prevention and control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 19 74);

(b) "appellate authority" means the appellate authority constituted under section 28;

(c) "Board" means the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board constituted under sub- section (1) of section 4;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Board;

(f) "Section " means a section of the Act.

3. **Fee**.--The fee payable for an appeal under section 28 shall be Rs. 500.

4. **Memorandum of appeal**.--(1) Every appeal shall--

(a) be in writing;

(b) Specify the name- and address of the appellant;

(c) Specify the date of the order against which it is made;

(d) specify the date on which the order was communicated to the appellant;

(e) contain a clear statement of facts:

(f) specify the grounds on which the appeal is preferred ;

(g) State precisely the relief prayed for; and

(h) Be signed and verified by the appellant or an agent duly authorised by him in writing in this behalin the following form, namely;

"I............................the appellant name in the above memorandum of appeal/his authorised agent do hereby declare that what is stated there in true to the best of my knowledge and belief,"

....

Signature

(2) The memorandum of appeal shall be accompanied by :--

(a) an authenticated copy of the order agaist which the appeal is preferred;

(b) a copy of the application made under section 25 or 26, as the case may be:

(c) any document relevant to the appeal ;

(d) a satisf..ctory proof of payment of the fee prescribed under rule 3:

(3) As far as possible, the memorandum of appeal shall be —

(a) In form I, where the appeal relates to matters covered by sub-section (5) of section 28: and

(b) In form-II, where the appeal relates to matters not covered by sub-section (5) of section 28.

(4) The memorandum of appeal shall be in quadruplicate and shall either be presented to the appeallate authority by the appellant or his authorised agent or sent to such authority by registered post. When the memorandum of appeal is a presented by an agent duly authorised by the appellant it shall be accomanied by a duly stamped letter of authority appointing him- as such.

(5) On receiving the memorandum of appeal, the appellate authority shall endorse there on the date of its presentation and the name of the appellant or his duly authorised agent, as the case may be, presenting it.

5. **Fixing the date of hearing and power to call for the record**.--(1) The appellate authority shall as soon as may be after the memorandum of appeal is filed, fix a date for hearing of the appeal and give intimation of the same to the appellant and the Member-Secretary in such Manner as it deems fit. A copy of the memorandum of appeal along with its enclosures shall also be sent to the member- Secretary.

(2) The appellate authority shall call for the record of the case from the Member-Secretary, if necessary.

(3) Where the material on record is insufficent to enable the appellate authority to have a definite conclusion may take additional evidence or call for such further material from the appellant or the Member-Secretary as it think fit. Such material shall form part of the record.

(4) Where, on the date fixed for hearing or any date to which hearing of the appeal may be adjourned, the appellant or his duly authorised agent does not appear when the appeal is called for hearing , the appeal may be dismissed or may be decidedex parte.

(5) Where, an appeal is dismissed under sub-rule (4), the appellant may within 30 days from the date of dismissal of the appeal, apply to the appellate authority for the restoration of the appeal and if it is shown to the satisfaction of the appellate authority that the appellant had not received intimation of the date of hearing of the appeal or was prevented by any suffficient cause from appearing when the appeal was called for hearing, the appellate authority may restore the appeal on such terms as it thinks fit.

6. **Order to be in writing**.—The order for the appellate authority shall be in writing and shall state the points for the determination, the decision there on and the reasons for the decision.

7. **Supply of copy of order to the appellant and the Board**.—Copy of the order passed in appeal shall be supplied free of cost to the appellant. Copy of the order shall also be sent to the Member-Secretary.

FORM 1

[*See* sub-rule 4 (3) (a)]

Form of apeal under section 28 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (No 6 of 1974).

To,

The President,
Appellate Authority,
Constituted under section 28 of the
Water (Prevention, and Control of
Pollution) Act, 1974.

The appeal of ....
....resident of ....
Ward No. ....Tahsil ....
District .... showeth as follows:—

(I) Under section 25/26 of theWater (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, (No. 6 of 1974), the appellant has been granted consent subject to the conditions mentioned in the consent order in respect of the Plant/Corporation/Municipalty/Notified Area Committee noted-below:-

(a) Name of Plant/
Corporation/Municipality/Notified Area
Committee
(b) Place—
(c) Ward No.
(d) Name of the Street—
(e) Urban Area—
(f) District:—

A copy of the consent order in question is attached hereto.

(II) The grounds on which the appellant relies for the purposes of this appeal are as follows-

(III) The appellant, therefore, Prays that:—

*The unreasonable condition No. ....

conditions Nos. ....
imposed should be treated as annulled or it/they should be substituted by such other condition/conditions as appears to be reasonable.

OR

The unreasonable condition No. ....conditions Nos.......................
should be varied in the following manner ;

Signature ....
Occupation. ....
Address. ....

Dated..............

Form of Verification

I ....the appellant named in the above memorandum of appeal/his authorised agent do hereby declare that what is stated there in is true to the best of my knowledge and belief.

Signature......................
Occupation......................
Address......................

Date...............

FORM-II

[*See* sub-rule (b) 4 (3) (b)]

Form of appeal under section 28 of the water (prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974).

To,

The president,
Appellate Authority,
Constituted under section
29 of the Water (Preventation
and Control, of Pollution)
Act, 1974.

The appeal of ....
resident of ....
Ward No. ....Tahsil ....
District ....Showeth as follows:—

(I) Under section 27 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (No. 6 of 1974).

* The appellant has been refused consent.

OR

* The consent has been withdrawn by the Board in respect of the Plant/Corporation/Municipality/Notified Area Committee noted below:—

(a) Name of the plant
Corporation Municipality
Notification Area Committee.
(b) Place—
(c) Ward No.—
(d) Name of the Street —
(e) Urabn Area—
(f) District—

A copy of the order in question is attached hereby.

(II) The appellant being agrieved by the aforesaid order prays that the said order be set aside on, amongst others, the following ground/ grounds, namely:—

* Strike out which is not applicable.

Signature ....
Occupation ....
Address ....

date.......................

Form of verification

I..the appellant named in the above memorandum of appeal/his authorised agent do hereby declare that what is stated there in is true to the best of my knowledge and belief.

Signature ....
Occupation ....
Address ....

Dated...............

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

G. P. SHRIVASTAVA, *Dy. Secy.*